

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक - 26/08/2013.

:: आदेश ::

क्रमांक- ~~एम. 9-9/13/17/113~~ 3 :: राज्य के शासकीय अस्पतालों एवं राज्य के अन्दर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को उपचार हेतु रैफर करने एवं उपचार की अनुमति देने के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2002/1826, दिनांक 4.09.2002 व पत्र क्रमांक 4/एम.आर./2009/1541, दिनांक 29.05.2009 को अधिक्रमित करते हुए व्यवस्था के सरलीकरण/ विकेन्द्रीकरण के उद्देश्य से निम्न दिशानिर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

(क) शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु :-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के नियम 4(1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार का हकदार होगा। वर्तमान में राज्य में राज्य शासन द्वारा संचालित चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी चिकित्सालय यथा- एम्स, भोपाल व बी.एम.एच.आर.सी., भोपाल संचालित हैं।

शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु रैफरल अथवा उपचार अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रैफरल व्यवस्था एवं उपचार अनुमति :-

1. राज्य के अन्दर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में उपचार कराने के लिए रैफरल एवं उपचार अनुमति जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दी जाएगी। इस बोर्ड में सिविल सर्जन एवं मेडिसिन तथा सर्जरी विषय के विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक सम्मिलित होंगे। यह बोर्ड आश्यकतानुसार प्रकरण विषयक बीमारी से संबंधित विषय विशेषज्ञ/स्नातकोत्तर चिकित्सक को परामर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगा। केवल उन्हीं जांच/उपचार की सुविधायें जो जिला चिकित्सालयों/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं हैं, के लिए बोर्ड द्वारा रैफरल किया जा सकेगा। रैफरल उपरांत उपचार अनुमति सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा जारी की जावेगी।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध जांच/उपचार की सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराई जावेगी। उनके द्वारा यह सूची वेबसाइट पर भी अपलोड कराई जायेगी।

निरंतर.....

3. शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अन्दर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय की अध्यक्षता में गठित रेफरल समिति द्वारा रेफर किये जाने की वर्तमान समानांतर व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(ग) राज्य के अन्दर शासकीय एवं शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु अग्रिम स्वीकृति हेतु वर्तमान व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण :-

1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/जी-3/2/94/सी/चार, दिनांक 8/12/1994 द्वारा उपचार हेतु अनुमानित चिकित्सा व्यय का 80 प्रतिशत अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है।
2. वर्तमान में अग्रिम की अनुशंसा राज्य स्तर से संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा संबंधित विभाग को की जाती है। अब इस व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर वित्त विभाग के उक्त ज्ञाप द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा करने के लिए इस आदेश की कंडिका (ख-1) में गठित जिला मेडिकल बोर्ड को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है। बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त जिले के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा राज्य शासन के निर्धारित पैकेज अथवा निजी चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत एस्टीमेट, जो भी कम हो, की 80 प्रतिशत सीमा तक चिकित्सा अग्रिम की अनुशंसा संबंधित जिले के कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख को की जा सकेगी।

(घ) शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अन्दर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति :-

1. म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 9-2/2006 /17/मेडि-3, भोपाल दिनांक 20/2/2006 द्वारा उपचार शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य के अन्दर निजी चिकित्सा संस्थाओं में कराये गये उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के अधिकार संभाग स्तर पर दिये गये हैं। यह व्यवस्था यथावत् रहेगी।

उक्त व्यवस्था आदेश जारी करने की तिथि से प्रभावशील होगी।

  
(सूरेश चंदोर)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक- एफ 9-9/13/17/भेडि-3

भोपाल, दिनांक - 26/08/2013


प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

निरंतर.....

4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल ।
6. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल ।
7. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

1. संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. की ओर भेजकर लेख है कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालयों में उपलब्ध जांच/उपचार की सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराई जावे एवं यह सूची वेबसाइट पर भी अपलोड की जावे ।
2. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. ।
3. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय म.प्र. ।
4. समस्त जिलाध्यक्ष म.प्र. ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र. ।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
8. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
2012  
सचिव,  
o/c मध्यप्रदेश शासन,  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग